उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

7/8/25

पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से फरमसी पत्र आदेशानुसार अग्रवाहा दिनांक 26/9/25 को पेश हो।

26.09.25

वकील श्री राजीव सिंह जी ने प्रा० पत्र 022 R09 CPC का जवाब पेश करते हुए अवसर चाहा। एक अन्तिम अवसर दिया जाता है अन्यथा अवसर स्वतः बन्द कर दिया जावेगा। पत्रावली दिनांक 30.10.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

30.10.25

वकील आवेदक व आवेदक स्वयं अनुपस्थित। काफी-काफी आवाज लगाई गई पर अनुपस्थित रहा लिहाजा आवेदक का प्रा० पत्र खारिज खर्चे-अदम पैरवी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार हो चुका है कम है बाद तकमील जाए दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़